

Form 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the **JHALRAPATAN (198)** Assembly constituency.

In pueissance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Smt Vasundhara Raje (Name) **1 K 3 Housing Board Colony Jhalawar** (Address) sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : **Government Polytechnic College Jhalawar**

Date : 03.12.2023



(Santosh Kumar Meena)

Returning Officer

Assembly Constituency Jhalrapatan (198)

(S.D.M.) Jhalawar

(संतोष कुमार मीणा)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन (198)

(एस.डी.एम.) झालावाड़

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(198) झालरापाटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नाम)

1 क 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड़ (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान: राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़

दिनांक: 03.12.2023

(संतोष कुमार मीणा)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन (198)

(एस.डी.एम.) झालावाड़
(संतोष कुमार मीणा)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन (198)

(एस.डी.एम.) झालावाड़